

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-92/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री सोहनलाल पिता हजारी बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा हाल निवासी कम्भा सर्कल के पास, ई-सैक्टर, आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्रीमति सूड़ी पत्नि हजारी बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा हाल निवासी कुम्भा सर्कल के पास ई-सैक्टर, आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---वादीगण

बनाम

1-श्री उदा पिता छीतर बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2-श्री भूरा पिता प्रताप बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

3-श्रीमति नाथी पत्नि नंदा पुत्री प्रताप बैरवा, उम्र बालिग निवासी तेलीखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

-----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री सोहनलाल पिता हजारी बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा हाल निवासी कम्भा सर्कल के पास, ई-सैक्टर, आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान), श्रीमति सूड़ी पत्नि हजारी बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा हाल निवासी कुम्भा सर्कल के पास ई-सैक्टर, आजादनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादीगण के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर

2083/2

रकबा

15.10 बिस्वा

लगान

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (राज.)

2084 / 2	-	13.10 बिस्वा	-
कुल किता 2	रकबा 1 बीघा	09 बिस्वा	लगान -

2-श्री उदा पिता छीतर बैरवा, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर 2083 / 3	रकबा 1 बीघा	लगान 09 बिस्वा	-
कुल किता 1	1 बीघा	09 बिस्वा	लगान -

3-श्री रतना पिता प्रताप बैरवा, उम्र बालिग, भूरा पिता प्रताप बैरवा, उम्र बालिग, छोटी बेवा प्रताप बैरवा, नाथी पुत्री प्रताप बैरवा, उम्र बालिग निवासीयान रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के नाम निम्न भूमि हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर 2083 / 4	रकबा 1 बीघा	लगान 09 बिस्वा	-
कुल किता 1	1 बीघा	09 बिस्वा	लगान -

4-वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर 2083 / 1	रकबा -	लगान 01.10 बिस्वा	-
2084 / 1	-	01.10 बिस्वा	-
कुल किता 2	-	03 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में क व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता पादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.06.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की

यी।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा